

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 27.03.2025

गैंगस्टर एक्ट से संबंधित 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक जीतेन्द्र कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना गोरखनाथ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 72/2025 धारा 2(ख)(i),(iv),(Viii)(xi) व 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त हर्ष चौहान उर्फ योगी हर्षनाथ को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त द्वारा गैंग बनाकर अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अवैध योगी कार्पोरेशन आफ इण्डिया नामक फार्म में रजिस्ट्रेशन कराकर कार्पोरेशन के नाम पर लोगों की मदद करने के नाम पर अपने निजी खाते में लोगों से रुपया मंगवाया जाता था। जिसके संबंध में थाना गोरखनाथ पर मु0अ0सं0 779/2023 धारा 419,420,467,468,469,471 भादवि पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता व आपराधिक इतिहास-

हर्ष चौहान उर्फ योगी हर्षनाथ पुत्र राजेन्द्र सिंह चौहान निवासी डी 179 स्वर्ण जयंतीपुरम थाना मधुबन बापू जनपद गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 72/2025 धारा 2(ख)(i),(iv),(Viii)(xi) व 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर।
2. मु0अ0सं0 779/2023 धारा 419,420,467,468,469,471,504,506,353 भादवि थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 जीतेन्द्र कुमार सिंह थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 सुशील कुमार चौरसिया थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 आयुष द्विवेदी थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
4. कां0 अनुराग सिंह थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर